भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1537
(दिनांक 31.07.2026 को उत्तर देने के लिए)

जीएसटी बचत उत्सव के लिए प्रिंट विज्ञापनों पर खर्च

1537. डॉ. सैयद नसीर हुसैनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 4 सितंबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 के बीच 'जीएसटी बचत उत्सव' अभियान के लिए प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है, जिसमें खर्च की गई कुल राशि, सम्बद्ध एजेंसियों और मीडिया आउटलेट जहां विज्ञापन दिखाए गए, का ब्यौरा शामिल हैं; और

(ख) उक्त अभियान के लिए प्रचार विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन आवंटित करने का क्या औचित्य है और इसके अपेक्षित परिणाम क्या हैं तथा अन्य जीएसटी संबंधित करदाता समर्थन उपायों, अनुपालन सहायता या बुनियादी ढांचे में सुधारों पर इस तरह के खर्च को प्राथमिकता देने का क्या औचित्य है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ख): केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के अनुरूप, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से भारत सरकार की स्कीमों, कार्यक्रमों और अन्य पहल से संबंधित उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञापन जारी करता है। ये विज्ञापन जन सूचना और जागरूकता के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

4 सितंबर 2025 से 28 अक्तूबर 2025 के बीच 'जीएसटी बचत उत्सव' अभियान के लिए प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण, जिसमें कुल व्ययित राशि, संबद्ध एजेंसियां और मीडिया आउटलेट जहां विज्ञापन प्रकाशित हुए शामिल हैं, सीबीसी की वेबसाइट www.cbcindia.gov.in पर उपलब्ध है।
